# न्यायालय जिला कलक्टर कोटा

पीठासीन अधिकारी–डॉ. रविन्द्र गोस्वामी IAS जिला कलक्टर, कोटा
प्रकरण संख्या 3/2024

औदिच्य संदेश जरिये रामानंद शुक्ला, 4 शॅपिंग सेंटर, पानी की टंकी के पास कोटा

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, कोटा

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

## निर्णय

दिनांक 09.09.2024

अपील का सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रामानंद शुक्ला निवासी , 4 शॅपिंग सेंटर, पानी की टंकी के पास कोटा द्वारा दिनांक 14.3.2024 को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा के यहां आवेदन पेश कर निम्न सूचना चाही गई थी –

1. औदिच्य संदेश रजि. नं. 26223 /74 के संबंध में संस्था द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने

आवेदनकर्ता द्वारा उपरोक्त चाही गई सूचना नहीं मिलने पर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो दिनांक 1.7.2024 को दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा से वांछित टिप्पणी भिजवाने हेतु लिखा जाने पर पत्रांक/सूचना/प्रथम–अपील/प–60/2024/377 दिनांक 16.8.2024 से टिप्पणी प्राप्त हुई । प्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित है ।

हमने अपील मेमों एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । अपीलार्थी द्वारा औदिच्य संदेश समाचार पत्र रजि0 नं0 26223/74 से सम्बन्धित संस्था द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियां चाही गई थी, किन्तु लोक सूचना अधिकारी कोटा से प्राप्त सूचना अनुसार अति0 जिला मजिस्ट्रेट (शहर) एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग के पत्रांक/1209 दिनांक 26.3.2024 से अनुसार समाचार पत्र पंजियन पंजिका रजिस्टर वर्ष 1988 में उक्त समाचार पत्र का अंकन नहीं होने से वांछित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां दिया जाना संभव नहीं बताया है । हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिस अनुसार अपीलार्थी औदित्य संदेश समाचार पत्र का रजिस्ट्रेशन 1974 का बताया गया है जबकि अति0 जिला कलक्टर द्वारा अपने पत्र दिनांक 26.3.2024 में 1988 में पंजियन नहीं होना बताया है यह विरोधाभाषी है ।

परिणामतः लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त समाचार पत्र पंजिका वर्ष 1974 में तलाश कराया जावें, यदि रजिस्टर्ड नं0 26223/74 पर समाचार पत्र का पंजियन है तो अपीलार्थी द्वारा चाहे गये दस्तावेज अपीलार्थी को उपलब्ध कराया जावें । निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा को पालनार्थ भिजवाई जावें ।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा